



प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 04.09.2023 को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयी।

1. अवैध शराब के साथ 01 आरोपी गिरफ्तार, थाना कांठ:-



अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार जनपद में अवैध/कच्ची शराब के निर्माण/प्रयोग/बिक्री पर रोकथाम एवं संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 04.09.2023 को थाना कांठ पुलिस द्वारा अभियुक्त यशपाल पुत्र सत्यपाल सैनी निवासी ग्राम डहरा थाना कांठ जिला मुरादाबाद को 16 पाउच मार्का गोल्डेन पंच देशी शराब नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना कांठ पर मु0अ0सं0-310/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

2. थाना छजलैट पुलिस द्वारा 01 वारंटी को किया गया गिरफ्तार:-



अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के आदेशानुसार वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 03-09-2023 की रात्रि में उ0नि0 श्री नरेंद्र सिंह थाना छजलैट द्वारा हमराही पुलिस बल की मदद से 01 वारंटी अभियुक्त आशीष कुमार पुत्र गंगासरन निवासी ग्राम कुरी रवाना थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद सम्बन्धित वाद सं0-1624/2021 अ0सं0- 263/2020 धारा 420 भादवि थाना छजलैट को गिरफ्तार किया गया।

3. छेड़छाड़, मारपीट, गाली गलौज करने का 01 आरोपी गिरफ्तार थाना ठाकुरद्वारा:-



अवगत कराना है कि दिनांक 01.09.2023 को वादी निवासी थाना ठाकुरद्वारा क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्तगण द्वारा घर मे घुसकर मारपीट करना और वादी की पुत्री के साथ छेड़छाड़ करना तथा गाली गलौच करना, तोड़फोड़ करना तथा अधमरा कर देने के संबंध में थाना ठाकुरद्वारा पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना ठाकुरद्वारा पर मु0अ0सं0-354/2023 धारा-147/452/323/354/354ख/308/504/506/427 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 04.09.2023 को उ0नि0 श्री दीपक चन्द्र सिंह थाना ठाकुरद्वारा द्वारा हमराही पुलिस बल की मदद से अभियुक्त मलखान पुत्र जसराम निवासी ग्राम रायभूड़,थाना ठाकुरद्वारा, जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

4. दहेज के लिये प्रताडित करने, दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने का 01 आरोपी गिरफ्तार
थाना ठाकुरद्वारा:-



अवगत कराना है कि दिनांक 23.08.2023 को वादिनी निवासी थाना ठाकुरद्वारा क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्तगण द्वारा वादिनी से दहेज की मांग करना तथा मांग पूरी न होने पर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करना, वादनी के साथ दुष्कर्म करना और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देना व तीन तलाक देने आदि के सम्बंध में थाना ठाकुरद्वारा पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना ठाकुरद्वारा पर मु0अ0सं0- 334/2023 धारा- 498A/376/377/506 भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम व 3/4 मुस्लिम विवाह अधिनियम पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 04.09.2023 को उ0नि0 श्री सोहनपाल सिंह थाना ठाकुरद्वारा द्वारा हमराही पुलिस बल की मदद से अभियुक्त हासिम पुत्र हाजी अय्यूब नि. मौ. मनियारन, कस्बा व थाना ठाकुरद्वारा, जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

5. षड्यंत्र बनाकर धोखाधड़ी करने, चोरी करने व वादी को जान से मारने की धमकी देने के 03 आरोपी गिरफ्तार थाना ठाकुरद्वारा:-



अवगत कराना है कि दिनांक 26.07.2023 को वादी मौ.कासिम पुत्र असगर अली उर्फ सूखा ग्राम ढकिया पिरु थाना डिलारी,जनपद- मुरादाबाद ने अभियुक्तगण द्वारा षड्यंत्र बनाकर धोखाधड़ी करने और वादी के भट्टे से 11 गैस सिलेंडर व पथेर का सामान चोरी लेने तथा व जान से मारने की धमकी देने आदि के सम्बंध में थाना ठाकुरद्वारा पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना ठाकुरद्वारा पर मु0अ0सं0- मु0अ0सं0-291/2023 धारा- 406/420/379/506 भादवि पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 04.09.2023 को उ0नि0 श्री सन्दीप मलिक थाना ठाकुरद्वारा द्वारा हमराही पुलिस बल की मदद से अभियुक्तगण 1. मो.कबीर पुत्र नूर बक्श 2. मौ.इमरान पुत्र मौ. कबीर 3. मौ.रफीक पुत्र मौ.कबीर निवासी गण ग्राम पोटा कला थाना बरखेड़ा जनपद पीलीभीत को गिरफ्तार किया गया । बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा- 411 भादवि0 की वृद्धि की गयी ।